



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6791

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 114 वर्ष 2026

राम अवतार सिंह

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	घन श्याम मौर्य
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री घन श्याम मौर्य और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 224 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 363 वर्ष 2016 दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया और 30.11.2024 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना चाहिए।
- न्यायालय में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।